न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—62 / 2022 (2022 / 138) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गोपी पिता भीमा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बालाल पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता गोकल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सोहन पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पिता नेनु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रभुलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लेहरूलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हरलाल पिता नन्दा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सुवालाल पिता नन्दा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बालुराम पिता बरदा कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. प्रेमदवी पत्नि हरलाल कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
14. हीरालाल पिता बरदा कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता

1. फारूख मोहम्मद—

निर्णय

दिनांक 14.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम दियास पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 631 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 783 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 34 पर दर्ज [illegible] है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के सा[illegible] उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात [illegible] काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने मे [illegible] काश्तकारान आपस मे [illegible]सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:22:20 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—62 / 2022 (2022 / 138) प्रार्थना पत्र

गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 25.03.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.04.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 14 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दियास पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 631 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 783 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 34 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

14/5/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:22:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–62 / 2022 (2022 / 138) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गोपी पिता भीमा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बालाल पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता गोकल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सोहन पिता गेहरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पिता नेनु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रभुलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लेहरूलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरलाल पिता अम्बालाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हरलाल पिता नन्दा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सुवालाल पिता नन्दा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बालुराम पिता बरदा कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. प्रेमदवी पत्नि हरलाल कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
14. हीरालाल पिता बरदा कुमावत निवासी नीमखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम दियास पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 631 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 783 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 34 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो [illegible] में [illegible] किये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट म[illegible] का के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:22:20 IST
Reason: SelfAttested

14/05/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)